संख्या-153/2025/188के-2/22-3-2024-17(996)/23

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025

विषयः- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023), दिनांक 24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी (बंदी संख्या-1384) पत्नी श्री उमाशंकर, जो मो0-गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की निवासिनी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 07 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 148, 506 व 7 सीआरएलए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23-09-2005 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 26 दिन की सजा तथा सपरिहार 21 वर्ष, 09 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है तथा रजि0 नं0-01 के अनुसार महिला बन्दी की आयु 51 वर्ष, 10 माह, 06 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15-09-2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में महिला बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, महिला बंदी रिहा होने पर समाज में शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने, महिला बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को महिला बन्दी ने 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। महिला बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी (बंदी संख्या-1384) पत्नी श्री उमाशंकर, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त महिला बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से महिला बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-188(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

4- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-153/2025/188के-2/22-3-2024-17(996)/23

दिनांक: 14 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी (बंदी संख्या-1384) पत्नी श्री उमाशंकर, जो मो0-गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत की निवासिनी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 07 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 148, 506 व 7 सीआरएलए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23-09-2005 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 26 दिन की सजा तथा सपरिहार 21 वर्ष, 09 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है तथा रजि0 नं0-01 के अनुसार बन्दी की आयु 51 वर्ष, 10 माह, 06 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15-09-2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में महिला बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, महिला बंदी रिहा होने पर समाज में शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने, महिला बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को महिला बन्दी ने 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। महिला बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बंदी सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा महिला बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in